सत्यमेव जयते

भारतीय भाषा समिति

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

द्वारा संपोषित

विधि एवं शासन प्रणाली पीठ

दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय

द्वारा

आयोजित

दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला

"भारतीय भाषाओं में विधिक अध्ययन, अध्यापन एवं अध्ययन सामग्री का निर्माण"

04-05 फरवरी, 2023

(शनिवार एवं रविवार)

आयोजन स्थल:

संगोष्ठी सभागार, विवेकानंद व्याख्यान परिसर

दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यशाला की पृष्ठभूमि

भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होता है। व्यक्ति संचार के अलावा नये खोज, कठिन विमर्श, ज्ञान–विज्ञान, उर्पाजन हेतु अपनी भाषा में सहज महसूस करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारतीय भाषाओं के प्रसार, सम्वर्धन एवं इसके उपयोग पर बल देता है। यह नीति भारतीयता, शिक्षा का भारतीयकरण, भारतीय भाषा माध्यम से शिक्षा का संप्रेषण, शिक्षा एवं शोध को बढ़ावा देता है। भारतीय भाषायी विविधता तथा समृद्ध भाषाई धरोहर के वाबजूद भारतीय शिक्षा खासकर विधिक शिक्षा एवं वृति में आंग्ल भाषा का प्रभाव आज भी विधिक शिक्षा एवं विधिक वृति को आम जन मानस के लिये कठिन बना कर रखा है। विधि शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव अभिजात्य की स्थिति पैदा करता है। विधि शिक्षा, जहाँ अंग्रेजी भाषा का बोलबाला रहा है, में भारतीय भाषा के विद्यार्थीओं को भाषायी भेदभाव, आंग्ल भाषा समझ आने मे कठिनाई, प्रवेश हेतु आवेदन देने से लेकर नामांकन प्रक्रिया तक तथा नामांकन के बाद गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री, एवं परीक्षा चुनौतीपुर्ण बना रहता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति सकल नामांकन अनुपात; शिक्षा में भारतीय भाषा; भारतीय भाषा में पाठ्यसामग्री की उपलब्धता, भारतीय भाषा में शोध शिक्षकों में नवीन ज्ञान का सृजन विषयों पर आधारित है अतः विधि शिक्षा जहाँ आंग्ल भाषा का प्रभाव एवं अन्य भारतीय भाषाओं में चुनौतियां आज भी बनी है, भारतीय भाषा में विधि शिक्षा का प्रसार न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करेगी अपितु भारतीय भाषा, संस्कृति एवं समाज के मूल्यों को विधि शिक्षा में सम्मिलित किया जा सकेगा। भारत में विधि की शिक्षा आयातित विदेशी भाषा यथा अंग्रेजी, रोमन, फ्रेंच इत्यादि भाषा पर आधारित है जिसमें भारतीयों के लिये पठन–पाठन सामग्री, संवाद, संप्रेषण इत्यादि एक कठिन कार्य व प्रक्रिया रहा है। आजादी के बाद, जहाँ संविधान भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान देता है वहीं संवैधानिक न्यायालय या संवैधानिक कार्यालयों में आंग्ल भाषा का प्रभाव आज भी बना हुआ है। विधि शिक्षा के प्रसार एवं विधिक वृत्ति हेतु भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय भाषा में विधिक शिक्षा प्राप्त करना, विधिक जागरूकता, विधि की जानकारी, ससक्त भारत एवं कर्त्तव्यनिष्ठ भारत का निर्माण करेगा। इस दो दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से भारतीय भाषा में विधि के अध्ययन अध्यापन और विषय सामग्री के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है।

कार्यशाला का उद्देश्यः

कार्यशाला का उद्देश्य विधिक शिक्षा में भारतीय भाषा का समावेश करना है। यह कार्यशाला विधिक शिक्षा संप्रेषण के लिये भारतीय भाषाओं की उपयोगिता, चुनौतियों एवं समाधान पर विचार करने हेतु आयोजित की गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को विधिक शिक्षा में समावेश करना तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समूल उद्देश्यों के संदर्भ में विधिक शिक्षा को भारतीय भाषा में उपलब्ध कराना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके माध्यम से सामाजिक मूल्य, आदर्श, विचार एवं भावना को विधि में स्थान सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यशाला का यह भी उद्देश्य है कि कैसे समाज एवं नागरिकों को विधि उनके ही भाषा में समझने एवं क्रियान्वयन का अवसर प्रदान करेगा। भारतीय भाषा में विधिक शब्दों को प्रचलित कर विधिक जागरूकता, विधिक शिक्षा को बढ़ावा देना, विविध शब्दावली का मानकीकरण इत्यादि सुनिश्चित किया जा सकता है। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारतीय भाषाओं का विधिक शिक्षा में योगदान का अध्ययन तथा विधिक वृत्ति में इनके महत्व, भारतीय भाषाओं के उपयोग हेतु प्रेरित करना है। इसका उद्देश्य विधिक शोध एवं शिक्षण सामग्री का भारतीय भाषाओं में निर्माण करना है। इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य विधि के शिक्षकों एवं शोधार्थियों को भारतीय भाषा में विधि के अध्ययन, अध्यापन एवं विषय सामग्री निर्माण के लिए उन्मुख करना तथा अभ्यास स्वरूप कार्यशाला के दौरान सामग्री निर्माण हेतु मार्ग–दर्शन प्रदान करना है।

कार्यशाला के तकनीकी सत्रः

- भारतीय भाषा में विधि का अध्ययन
- भारतीय भाषा में विधि का अध्यापन
- भारतीय भाषा विधिक शिक्षण सामग्री का निर्माण
- भारतीय भाषा में विधिक लेखन एवं शोध
- विधिक भाषा एवं सामाजिक समायोजन
- भारतीय भाषा का विधिक एवं न्यायिक प्रक्रिया में समायोजन
- भारतीय भाषा में विधिक शब्दावली का मानकीकरण

दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालयः

दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (तत्कालीन बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय), केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत संसद द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 के द्वारा इसका वर्तमान नाम गया। विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अनुसंधान के लिए अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और शैक्षणिक नवाचारों के साथ एक विशिष्ट स्थान बनाने के लिए अग्रसर है। अपने शैक्षणिक प्रयास में इसने बुनियादी ढ़ांचे, प्रयोगशाला, अनुसंधान परियोजनाओं, संकाय भर्ती, प्रक्रियात्मक कार्यों के साथ–साथ प्रस्तावित किए जा रहे नवीन पाठ्सक्रमों को शामिल करने के मामले में एक मील का पत्थर स्थापित किया है। विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य 'ज्ञान सेवा विमुक्तये' को चरितार्थ करने हेतु प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय गया–पंचानपुर मार्ग पर शहर से 15 किमी दूर 300 एकड़ के परिसर में अपनी शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है।

भारतीय भाषा समितिः

भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए 'भारतीय भाषा समिति' का गठन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर, 2021 को किया गया। इस उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष श्री चमू कृष्ण शास्त्री हैं। इस समिति का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के आलोक में भारतीय भाषाओं में शिक्षण एवं अनुसंधान के विकास से संबंधित सभी मामलों पर शिक्षा मंत्रालय को सलाह देने का कार्य सौंपा गया है। इस दिशा में समिति कई कार्य कर रही है; जैसे– भारतीय भाषाओं के विकास के लिए शैक्षणिक संस्थानों में भाषा शिक्षण सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ढांचे में सुधार हेतु सुझाव देना; सभी श्रेणियों की भाषाओं अर्थात अनुसूचित, लुप्तप्राय, गैर–अनुसूचित, लघु, जनजातीय, शास्त्रीय भाषाएँ; आदि का समावेश सुनिश्चित करना; कौशल और व्यवसायिक शिक्षा का भारतीय भाषा प्रवीणता, अनुसंधान, भाषा संग्रहों का निर्माण, अनुवाद आदि के लिए सिफारिशें करना; शिक्षार्थियों के लाभ के लिए भारतीय भाषाओं में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ावा देना; 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के बोध को सुदृढ़ करने के लिए नवाचार प्रकोष्ठ, भारतीय ज्ञान प्रणाली आदि शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए छात्र केंद्रित कार्यक्रमों से समन्वय स्थापित करना है।

विधि एवं शासन प्रणाली पीठः

विधि एवं शासन प्रणाली पीठ के तहत विधि एवं शासन प्रणाली विभाग की स्थापना सन् 2013 में की गई थी। प्रारंभ में पाँच वर्षीय एकीकृत बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम की शुरूआत की गई थी। वर्तमान में पाँच वर्षीय एकीकृत बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से एक वर्षीय विधि परास्नातक (एलएल.एम.) एवं शोध पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चलाये जा रहे हैं। इसके साथ ही विभाग में मूटकोर्ट, विधिक सहायता केन्द्र एवं न्याय बन्धु केन्द्र की स्थापना की गई है। साथ ही साथ न्यायिक सेवा में अवसर उपलब्ध कराने हेतु विभाग के अध्यापकों द्वारा निःशुल्क कोचिंग चलाया जा रहा है। विधि एवं शासन प्रणाली पीठ अपने बहुत ही कम समयावधि में विधिक अध्ययन, अध्यापन में उम्दा स्थान प्राप्त किया है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का विधि एवं शासन प्रणाली पीठ अपनी बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ के पुरातन छात्र वर्तमान में न्यायिक सेवा, अध्यापन के अतिरिक्त विधिक वृत्ति में महत्तवपुर्ण योगदान दे रहे हैं।

परिवहन के साधनः

गया, सड़क, रेलवे और हवाई मार्ग द्वारा देश के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ है। दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर गया शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर गया–पंचानपुर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग–120) पर अवस्थित है।

रोडवेजः विश्वविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग–2 से लगभग 40 किमी दूर है। जो गया–डोभी मार्ग होते हुए कोलकाता, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर और दिल्ली से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग–83 गया को पटना से जोड़ता है। गया आने के पश्चात डेल्हा होते हुए विश्वविद्यालय पहुँचा जा सकता है।

रेलवेः गया रेलवे जंक्शन पटना रेलवे जंक्शन के बाद बिहार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। विभिन्न राजधानी एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों के अलावा, नई दिल्ली से गया के लिए एक दैनिक ट्रेन उपलब्ध हैं। बिहार के दो महत्वपूर्ण शहरों गया और पटना के बीच लगातार रेल सेवा चलती रहती है। दक्षिण कन्द्रीय विश्वविद्यालय का परिसर गया रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर दूर है।

हवाई मार्गः गया में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गया हवाई अड्डे से घरेलु उड़ानों की सुविधा एयर इंडिया, इंडिगो उपलब्ध है। गया हवाई अड्डा बोधगया और गया शहर के बीच अवस्थित है। गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से गया शहर होते हुए डेल्हा – पंचानपुर मार्ग द्वारा दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर पहुँचा जा सकता है।

महत्वपुर्ण तिथियाँ:

पंजीकरण की अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2023 (मंगलवार)
राष्ट्रीय कार्यशाला की तिथि: 4–5 फरवरी 2023 (शनिवार एवं रविवार)
पंजीकरण का लिंक: https://forms.gle/UMYWx3dhabhJsaj4A

कार्यशाला हेतु पंजीयन **निःशुल्क** है।

प्रमाणपत्र: सभी सत्रों में उपस्थित पंजीकृत प्रतिभागियों को उनके पंजीकरण प्रपत्र पर अंकित जानकारी के आधार पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

आवास: प्रतिभागियों के लिए विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में आवास की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी। प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, परन्तु कार्यशाला के दिन आहार की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। किसी भी उपर्युक्त विषय पर अंतिम निर्णय कार्यशाला आयोजन समिति का होगा।

सम्पर्क सूत्र:

कार्यशाला से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें:

डा० दिग्विजय सिंह (स्थानीय समन्वयक):
+91-9415643065, digvijaysingh@cusb.ac.in
श्री मणि प्रताप (स्थानीय सह–समन्वयक):
+91-7008565341, manipratap@cusb.ac.in

दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग–120, गया–टेकारी मार्ग, गया– 824236 (बिहार)